116

19 MAR 2006

समक्ष- माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प, सागर

R 1439/II/06

आवेदकगण :- (१) बाबूलाल आयु ६२ साल आत्मज स्व० श्री वंशी चौरसिया

(२) रमेश आयु ४० साल आत्मज स्व० श्री पीजीलाल चौरसिया, दोनो निवासी ग्राम पटना तमोली तहसील गुन्नौर जिला पन्ना (म०प्र०)

श्री पंकज उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत।
19.5.06
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.)

-: विरुद्ध :-

अनावेदक :- शंकर प्रसाद वल्द श्री हलके चौरसिया निवासी पटना तमोली तह० गुन्नौर जिला पन्ना (म०प्र०)

3/5/06

क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 3/2/06 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा राजस्व अपील प्र०क्रमांक २१-अ-७० वर्ष २००२-२००३ मे पारित आदेश दिनांक ४।४।२००६ से व्यथित होकर विधि एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण। आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

संक्षिप्त तथ्य एवं आधार

(१) यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पटना तमोली के आराजी क्रमांक २३२७ रकबा ०-११ हेक्टेयर के अंश रकबा पूर्व की तरफ १ गुणित शून्य तीस जरीब पर आवेदक क्रमांक १, बाबूलाल का स्वामित्व व कबजा है, तथा इसी आराजी खसरा मे पश्चिम भाग पर ०-६० गुणित १ जरीब पर आवेदक क्रमांक २, का पुश्तैनी मकान होने से कबजा है किन्तु अनावेदक, आवेदकगण को परेशान करने की नियत से झूठी कानूनी कार्यवाहियां करता आ रहा है।

(२) यहकि, अनावेदक शंकर चौरसिया द्वारा धारा २५० मध्यप्रदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग -- अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1439–दो/2006 जिला पन्ना

बाबूलाल आदि विरूद्ध शंकर प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07–3–2019	उभयपक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 451/अ–6/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 04–4–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ इस प्रकरण में अनावेदक शंकरप्रसाद ने सीमांकन 16–5–2000 के आधार पर कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसपर कार्यवाही करते हुये तहसीलदार ने सीमांकन प्रतिवेदन, फील्डबुक पंचनामा, वाद भूमि से संबंधित खसरा पंचशाला का अवलोकन करने के उपरांत यह पाया कि अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कब्जा पाया। उक्त कब्जे के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेजा प्रस्तुत नहीं किये गये। तहसीलदार द्वारा पारित को अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेशों से स्थिर रखा है। सीमांकन आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है और सीमांकन के आधार पर पारित बेदखली आदेश को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यथावत रखा	

07/3/19

3

है। इस तरह तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 04–4–2006 स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर0के0 जैन)
सदस्य 07/3/19